दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, रायगढ़ रेफर

रायगढ़ (आरएनएस)। जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के उलदा गांव में आज दोपहर एक नाबालिग लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर रूप से जली हालत में उसे खरसिया अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। खरसिया के चिकित्सकों का कहना है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि नाबालिग लड़की ने खुद को आग लगाई, या फिर इसके पीछे किसी प्रकार की कोई साजिश है? ऐसे तमाम प्रश्न अनुत्तरित हैं। पीड़िता अभी खरसिया से रायगढ़ के रास्ते में है।

चोरी की 2 नग बैटरी के साथ युवक गिरफ्तार

रायगढ़। ग्राम गोरखा रायगढ़ में रहने वाला मनोज कुमार पिता श्रीकान्त चौरसिया दिनांक 25.12.18 को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके पास एक ट्रक क्रमांक छत्त 13 छ-6487 है, जिसे ड्रायवर कल दिनांक 24/12/2018 को ट्रक ब्रेक डाउन होने पर जिन्दल पार्किंग के पास रात करीब 10 बजे रोड किनारे खडी कर अपने घर चला गया था , दिनांक 25/12/2018 को सुबह करीब 9 बजे जाकर गाडी को देखा तो गाडी मे लगे 2 नग बैटरी (एक बैटरी एमरान ब्लेक कम्पनी, दूसरा बैटरी पुराना लिवगार्ड कम्पनी) जुमला कीमती 10000 रूपये को रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 333/18 धारा 379 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरम्यान पुलिस को मुखबिर से पतरापाली कोतरारोड़ में रहने वाले दिलेश्वर उरांव उर्फ बोलो के पास चोरी की बैटरी होने की सूचना मिला, जिस पर संदेही दिलेश्वर उरांव उर्फ बोलो को तलब कर पूछताछ किया गया, जिसने दिनांक 24.12.18 की रात्रि गाडी से 02 नग बैटरी चोरी करना स्वीकार किया । आरोपी के मेमोरेण्डम पर 02 नग बैटरी जप्त कर आरोपी दिलेश्वर उरांव उर्फ बोलो पिता बंधुराम उम्र 27 वर्ष निवासी पतरापाली थाना कोतरारोड़ को आज दिनांक 26.12.18 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।

थाना में पड़े दोपहिया वाहन एवं मोबाइल की नीलामी 29 को

रायगढ़ । रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ अंतर्गत थाना प्रभारी धरमजयगढ़, थाना प्रभारी छाल एवं कापू में बिना वाहन स्वामी के पाए गए कुल 19 दोपहिया वाहन एवं 151 माइक्रोमैक्स मोबाईल को लावारिस घोषित किया जाकर राजसात किया गया है, जिसकी खुली नीलामी 29 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे थाना परिसर धरमजयगढ़ में की जाएगी। खुली नीलामी में कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता है। थाना प्रभारी कापू में 11 दोपहिया वाहन, थाना प्रभारी धरमजयगढ़ में 1 दोपहिया वाहन एवं थाना प्रभारी छाल में 7 दो पहिया वाहन तथा थाना प्रभारी धरमजयगढ़ में 8 कार्टून में 151 माईक्रोमेक्स मोबाईल को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत लावारिस स्थिति में मिलने पर थाना परिसरों में रखा गया है। जिसके संबंध में 20 अगस्त एवं 20 सितम्बर तक वाहन एवं मोबाइल के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर संबंधित स्वामी प्राप्त कर सकते है। संबंधी सूचना जनसामान्य को दी गई थी। लेकिन निर्धारित तिथि तक कोई भी वाहन एवं मोबाइल स्वामी उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में छग पुलिस अधिनियम के तहत थाना में रखे दोपहिया वाहनों एवं मोबाइल का कोई भी मालिक नहीं होना पाया गया। मानकर वाहन एवं मोबाइल को लावारिस घोषित करते हुए राजसात किया गया है।

सीएम गहलोत ने अपने पास रखे 9 विभाग

मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा

जयपुर (आरएनएस)। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर तीन दिन चली खींचतान के बाद यह मामला सुलझ गया है तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 9 विभाग अपने पास रखे हैं जिनमें गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। कल देर रात करीब 2:15 बजे मंत्रियों के विभागों की सूची जारी की गई जिसके अनुसार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास पंचायती राज, विज्ञान प्रौद्यागिक और सांख्यिकी विभाग दिये गये है। कैबिनेट मंत्रियों में बीडी कल्ला को ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल, विभाग दिये है। शांति कुमार धारीवाल को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग दिये है। परसादी लाल को उद्योग और राजकीय उपक्रम और मास्टर भंवरलाल मेघवाल को सामाजिक न्याय अधिकारिता, विभाग दिये गये है। लालचंद कटारिया को कृषि, पशुपालन, रघु शर्मा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा तथा प्रमोद भाया को खान विभाग दिये है। विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन, तथा हरीश चौधरी को राजस्व, विभाग दिये गए है। रमेश चंद मीणा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ,उदयलाल आंजना को सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं प्रताप सिंह, खाचरियावास को परिवहन विभाग दिये गये है और सालेह मोहम्मद को अल्पसंख्यक मामलात विभाग दिया है।

राज्य मंत्रियों में गोविन्द सिंह डोटासरा को शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार),पयर्टन, तथा ममता भूपेश को महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार), विभाग दिये है। अर्जुन सिंह बामनिया को जनजाति क्षेत्रीय विकास (स्वतंत्र प्रभार), और भंवर सिंह भाटी को उच्च शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार) विभाग दिये है।

सुखराम विश्नोई को वन विभाग(स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण विभाग(स्वतंत्र प्रभार), एवं अशोक चांदना को युवा मामले-खेल (स्वतंत्र प्रभार) सैनिक कल्याण विभाग दिये है। टीकाराम जूली को श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार)विभाग दिये है। भजनलाल जाटव को गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा (स्वतंत्र प्रभार) तथा राजेन्द्र सिंह यादव को आयोजना जनशक्ति(स्वतंत्र प्रभार), और डॉ सुभाष गर्ग को तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृत शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार), विभाग दिय गये है।

शादी के चार दिन बाद ही प्रेमी ने महिला को छोड़ा

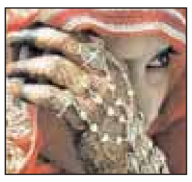

रायगढ़। विवाहित महिला ने प्रेमी की जालसाजी में आकर शादीशुदा जिंदगी को खुद के हाथों से तबाह करने का मामला सामने आया है। जिसमें विवाहित महिला ने पति से बेवफाई करने के पश्चात प्रेमी के पास रहने चली गई जहां प्रेमी ने चार दिन तक महिला का शोषण करने के पश्चात बीच राह में छोड़ कर भाग गया। शोषण का शिकार हुई महिला ने जिला पुलिस कप्तान से शिकायत देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।

महिला ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वह धरमजयगढ़ की रहने वाली है । जिसका विवाह समाजिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी धरमजयगढ़ निवासी नरेश राठिया पिता जैतराम राठिया ने फोन के माध्यम से सम्पर्क करते हुए धोखा दिए जाने की बात करने लगा । दोनों के काफी दिनों तक बातचीत चलता रहा इस बीच नरेश राठिया ने उसे अपने बातों फसा लिया । जहां पत्नी बनाकर रखने की बात कहने लगा था इस बातों में आकर महिला ने घर गृहस्थी को छोड़ कर नरेश राठिया के साथ भाग गई। वही नरेश राठिया ने चार दिन साथ मे रखने के बाद उसे धरमजयगढ़ में छोड़ दिया। इस पूरे वाक्ये से महिला ने न्याय की गुहार लगाने पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि महिला के ससुराल वालो ने महिला के कही चले जाने और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुसौर थाने में दर्ज कराए थे। बहरहाल पुलिस कप्तान के अनुपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा हैं।

रायगढ़ जामगांव मार्ग पर डस्ट से राहगीर परेशान

महापल्ली । रायगढ़ जामगांव महापल्ली मार्ग पर चिटकाकानी गांव के पास एनटीपीसी लारा के लिए बन रहे रेलवे लाइन तथा ओवरब्रिज के कारण सड़क मार्ग की दुर्दशा बन गई है । ओवरब्रिज बनाने के लिए बनाए गए साइड सड़क उखड़ गए हैं ऐसे में भारी वाहनों के चलने से धूल का गुबार उड़ रहे हैं । मोटरसाइकिल सवार व अन्य राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरकेटीसी कम्पनी का पानी टेंकर खराब हो गया है । जिसके कारण पानी छिड़काव नहीं हो रही है ।यहां पर अभी शांति कंस्ट्रक्शन कपंनि का कार्य चल रहा है । शान्ति कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने पर भी पानी छिड़काव नही किये जाने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है ।

अवैध धान परिवहन करने वाले कोचियों पर हो सख्त कार्यवाही-कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से भेंट की।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि एक टीम वर्क में सभी मिलकर बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। शासन के नियमानुसार सभी उत्कृष्ट कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों में किए जा रहे कायो ंकी जानकारी ली। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप राजस्व विभाग के मूल कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही भू-अर्जन के कायो ंमें प्रगति लायें। सामुदायिक पट्टा के संबंध में भी जनसामान्य में जागरूकता लायें। उन्होंने कहा कि किसी कोर्ट में ऐसे प्रकरण जिनका 6 माह बाद भी निराकरण नहीं हुआ है तो इसका निरीक्षण वे स्वयं करेंगे। उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में लंबित पत्रों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान का परिवहन रोकने के कड़े निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है किसान से ही धान की खरीदी हो। उन्होंने कोचियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि समितिवार एवं किसानवार तथ्यों की समीक्षा करें कि रकबे के अनुसार कितने क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। उन्होंने तय सीमा से ज्यादा धान लाने वाले पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तयामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं लौकिक शैली के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा शैक्षणिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों एवं महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480